

जिसे अपीलान्त वकी सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान करें। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2022 पारित करते हुये जप्त गौवंश में संलिप्त जब्तशुदा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम श्रवण क्षेत्राधिकार पर सुना जाना न्यायोचित पाते है। लिहाजा वकील अपीलान्त एवं सहायक लोक अभियोजक की सुनवाई क्षेत्राधिकार पर बहस सुनी गई।

सहायक लोक अभियोजक द्वारा राजस्थान राजपत्र में विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) जयपुर दिनांक 27 नवम्बर 2019 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 की प्रतिलिपि पेश करते हुये न्यायालय हाजा को इस प्रकरण का सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुये उक्त अधिनियम के बिन्दु संख्या 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये स्पष्ट किया कि .....” जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।.....” इस प्रकरण में न्यायालय हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे।


वकील अपीलान्त द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा को इस प्रकरण के श्रवण क्षेत्राधिकार होने के संबध में कोई सन्तोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त अधिसूचना के विरुद्ध को उज्रदारी पेश की गई।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2022 पारित करते हुये जप्त गौवंश में संलिप्त जब्तशुदा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज कर दिया । इसके विरुद्ध न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई है किन्तु न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने से पूर्व अदालत हाजा को श्रवणाधिकार के

संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभागीय, भरतपुर

बिन्दु को सर्वप्रथम निस्तारित किया जाना है। इस संदर्भ में सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) जयपुर दिनांक 27 नवम्बर 2019 को जारी राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो चुका है कि न्यायालय हाजा को इस प्रकरण का सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त अधिनियम के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट किया कि .....“ जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।.....” इस प्रकार उक्त अधिनियम के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में अदालत हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलान्त सक्षम अदालत में अपील करने हेतु स्वतन्त्र रहते है।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(सांवरमूल वर्मा)  
संभारतीय आयुक्तर  
भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या 28 / 22 राज0 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 (RCMS No.2022 / 31)

साकिर पुत्र श्री अली मौहम्मद निवासी नौहडील, बांगर जिला मथुरा  
(उ0प्र0)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (ए0पी0पी0) भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 16.2.2022 जिला कलक्टर भरतपुर व मुकदमा प्रार्थना पत्र संख्या 08 / 2022 उनवान साकिर बनाम राज0 सरकार प्रार्थनापत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन पिकअप पंजीयन संख्या यू पी 85 / सीटी-4097, व मुकदमा एफ आई आर संख्या 736 / 2021 अपराध धारा 5 / 8 पुलिस थाना कामां जिला भरतपुर अंतर्गत आरबीएक्ट राजस्थान गौवंशीय पशु वध अधिनियम 1995.


उपस्थिति :-

1. श्री मुकीम खान वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक

निर्णय

दिनांक: 10.5.2022

यह अपील राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यानिर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.2.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने एक सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट का वाहन रिजिड पिकअप गाडी संख्या यू पी 85 सीटी 4097 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। अपीलान्ट के उक्त वाहन को पुलिस थाना कामां द्वारा प्रकरण में कतई गलत व असत्य तथ्यों के आधार पर जब्त कर लिया है जो कि थाना कामां में खुले में खड़ा हुआ है। जिसके खुले में खड़े रहने से खराब होने की संभावना है तथा पुलिस थाना को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने जीवन यापन के लिए वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है।

  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

क्रिया गया था जिस पर अपीलान्ट की ओर से उक्त वाहन को अपना सुपुर्दगी